

विषय:- जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु प्राथर्ना पत्र

श्रीमान जी,

- आवेदक का नाम :- एड० मिन्टू भाटी
- आवेदक का पता :- चौ० 696 गली नं 18 जिला एवं सत्र न्यायालय
गौतम बुद्ध नगर
- आवेदक का फोन नं० :- 9811640075

910-CPG
R72-20905
8-8-2022

- चाही गयी जानकारी का विवरण :-
 1. गामा प्रथम स्थित LS-5 प्लॉट का वर्तमान में स्वामित्व किसके पास है ?
 2. गामा प्रथम स्थित प्लॉट LS-5 में निर्माण के लिए ग्रैटर नोएडा विकास प्राधिकरण से स्वीकृत नक्शा व लीज प्लान की छाया प्रति ।
 3. ग्रैटर नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा LS-5 प्लॉट में आवागमन के लिए प्लॉट से सटे पार्क/ग्रीन बेल्ट के मध्य से भी कोई रास्ता स्वीकृत है या नही?
 4. वर्धमान इंफ्रा बिल्ड प्रा०लि० द्वारा LS-5 प्लॉट से सटे पार्क/ग्रीन बेल्ट के मध्य दीवार लगाकर प्लॉट में आवागमन के लिए रास्ता बनाने के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी से कोई अनुमति ली गयी है या नही ?
 5. LS-5 प्लॉट से सटे पार्क/ग्रीन बेल्ट में रॉयल वॉल्कवे का आफिस बनाने के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा कोई अनुमित ली गयी है या नही ?
 6. LS-5 प्लॉट का आवंटी ग्रैटर नोएडा विकास प्राधिकरण व आवंटी के मध्य निष्पादित लीज़ डीड के किस क्लॉज़ के तहत सिर्फ आवंटित प्लॉट एरिया में निर्माण करने के लिए बाध्य है, प्लॉट एरिया के बाहर पार्क/ग्रीन बेल्ट में निर्माण कार्य करने से प्रतिबंधित है ?

- आवेदन के साथ अदा किये गए पोस्टल आर्डर का क्रमांक:- 54F 425277,54F 425278

नोट:- यदि सूचना प्राप्त कराने में कोई अतिरिक्त व्यय होता है तो उसे आवेदक वहन करने को तैयार है ।यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से सम्बंधित नहीं हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन सम्बंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों के समयाविध के अन्तर्गत हस्तान्तरित करें। साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बतायें।

स्थान:-गौतम बुद्ध नगर

दिनांक:- 04 | Aug | 22

Mintoo Bhati
आवेदक के हस्ताक्षर

श्रीमान जन सूचना अधिकारी,

ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण, जनपद गौतम बुद्ध नगर

विषय:- जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु प्राथर्ना पत्र

श्रीमान जी,

- आवेदक का नाम :- एड० मिन्दू भाटी
- आवेदक का पता :- चै० 696 गली नं० 18 जिला एवं सत्र न्यायालय
गौतम बुद्ध नगर
- आवेदक का फोन नं० :- 9811640075
- चाही गयी जानकारी का विवरण :-

110-10000
215-20907
8-8-2022

1. वर्धमान इंफ्रा बिल्ड को आवंटित गामा प्रथम स्थित प्लॉट LS-5 के एवज में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का बकाया भुगतान न करने पर ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा कब-कब डिफॉल्टर घोषित किया गया है ?
2. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा आवंटी को डिफॉल्टर घोषित करने के अधिकतम कितने दिन बाद संबंधित प्लॉट का आवंटन निरस्त कर कब्जा लेने का नियम है?
3. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा किसी फर्म/व्यक्ति को पहले से किसी अन्य प्लॉट के बकाया का भुगतान न करने पर डिफॉल्टर घोषित किया जा चुका है तो क्या उस फर्म/व्यक्ति को दौराने डिफॉल्टर अन्य प्लॉट आवंटित किया जा सकता है?
4. वर्धमान इंफ्रा बिल्ड द्वारा प्लॉट LS-5 में निर्माण समय-सीमा बढ़ाने के लिए ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण में कब- कब आवेदन किया गया?
5. ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के द्वारा प्लॉट LS-5 की निर्माण पूर्ण करने के लिए समय-सीमा कितनी बार-किन शर्तों पर कितने समय के लिए बढ़ाई गयी है?
6. ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नक्शे से इतर आवंटी/प्रोमोटर द्वारा बिना प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नक्शे और मार्ग प्रोजेक्ट ब्रोशर और विज्ञापन प्रचार कर यूनिट बेचने पर प्राधिकरण द्वारा क्या कार्यवाही करने का नियम है ?

- आवेदन के साथ अदा किये गए पोस्टल आर्डर का क्रमांक:-54F 425282, 54F 425276

नोट:- यदि सूचना प्राप्त कराने में कोई अतिरिक्त व्यय होता है तो उसे आवेदक वहन करने को तैयार है। यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से सम्बंधित नहीं हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन सम्बंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों के समयाविध के अन्तर्गत हस्तान्तरित करें। साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बतायें।

स्थान:-गौतम बुद्ध नगर।

दिनांक:- 04/ Aug/22

Mintoo Bharti
आवेदक के हस्ताक्षर